सुदृढ़ता का संकल्प

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

बी.एम.सी. / शीतकेन्द्र / संयंत्र दुग्ध परिवहन ई–निविदा सूचना

क्रमांक / उ.दु.सं. / उत्पा. / परिवहन ई–निविदा / 2022 / 3304 / दिनांक 16/8/22

ई–निविदा खुलने की दिनांक 07.09.22 तक ऑनलाईन वेब साईड http:/www.mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा संबंधि विस्तृत शर्ते एवं अन्य जानकारी हेतु www.mpcdf.nic.in पर लॉगआन करें। Digital Signature हेतु मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपनेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल से टोल फ्री नम्बर 18002745454 / 18002748484 पर सम्पर्क करें।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़ उज्जैन – 456001 (म.प्र.)

फोन नं. : (0734) 2527061, 2527068, 2527066

फेक्स नं. 0734–2527063

E-mail :udsplant@yahoo.com

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र)

GMPO AGM MIS प्र. (वि.) प्र. LQC प्र./c Produ...

CEO

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail: udsmis@yahoo.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / उत्पा. / 2022 / 3304 उज्जैन, दिनांक : 16/8/22

ई–निविदा सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा इन्सुलेटेड रोड मिल्क टेंकर (क्षमता 7500 कि.ग्रा.) के लिए दुग्ध संघ के समस्त बी.एम.सी. / शीतकेन्द्र / संयंत्र से मुख्य संयंत्र, उज्जैन तक तरल दूध परिवहन हेतु ई–निविदाएँ आंमत्रित की जाती है। ई–निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य ऑनलाइन जमा कर मध्यप्रदेश ई–टेण्डर की वेबसाइट www.mptenders.gov.in से दिनांक 17.8.22 से क्रय की जा सकती है। ई–निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण एमपी स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर www.sanchidairy.com/ www.sanchiujjain.com देखा एवं पढा जा सकता है। निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम दिनांक 7.9.22 समय दोपहर 12:30 बजे तक है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास एक अथवा सम्पूर्ण निविदाओं को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा में किसी भी प्रकार की संशोधन की सूचना केवल ऑनलाइन जारी की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

GM P&I AGM (M.I) I/c Fin I/c QC I/c Prodn

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail: udsmis@yahoo.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / उत्पा. / 2022 /   उज्जैन, दिनांक :

बी.एम.सी. दुग्ध परिवहन ई–निविदा सूचना

Tender ID:-

	निविदा प्रपत्र निविदा कार्य – उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के दुग्ध संयंत्रो एवं शीत केन्द्रों से म.प्र. राज्य में एवं राज्य के बाहर दुग्ध परिवहन हेतु कार्य।	
	ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू. 1,000 / – (अक्षरी– रूपये एक हजार मात्र)
1.	ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाइन विक्रय प्रारंभ जारी करने की दिनांक एवं समय।	दिनांक 12.8.22 दोपहर 3.00 बजे से (ई पोर्टल के माध्यम से)
2.	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 7.9.22 सुबह 12.30 बजे तक (ई पोर्टल के माध्यम से)
3.	ई–निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक: 7.9.22 दोपहर 12.30 बजे तक (ई पोर्टल के माध्यम से)
4.	ई–निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	दिनांक: 8.9.22 दोपहर 3.30 बजे (ई पोर्टल के माध्यम से)
5.	ई–निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010
6.	पत्र व्यवहार हेतु पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन (म0प्र0) 456010
7.	अमानत राशि (केवल ऑनलाईन ही जमा करें)	रू. 1,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र)
8.	संलग्न प्रपत्र :– 01– परिशिष्ट–(अ) 02– परिशिष्ट–(ब) 03– परिशिष्ट–(स) 04– परिशिष्ट–(द) 05– परिशिष्ट–(ई)	 कार्य विवरण एवं रोड़ मिल्क टेंकर की आवश्यकता संबंधी विवरण। सामान्य नियम एवं शर्ते। अनुबंधित परिवहनकर्ता हेतु कार्य संचालन की आवश्यक शर्ते। तकनीकी प्रपत्र (आवश्यक रूप से प्रत्येक निविदाकर्त्ता को भरना हैं।) दर प्रपत्र।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail: udsmis@yahoo.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / उत्पा. / 2022 / उज्जैन, दिनांक :

परिशिष्ट – (अ)

कार्य का विवरण

(अ) उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन के कार्यक्षेत्र में स्थापित समस्त बी.एम.सी. / शीतकेन्द्रों / संयंत्रों से दुग्ध परिवहन का कार्य उज्जैन संयंत्र तक किया जाना है। इस हेतु 7500 कि.ग्रा. क्षमता के किराएँ के टैंकर की आवश्यकता है। कार्यावधि सामान्यतः 3 वर्षो के लिए मान्य होगी जिसे आपसी सहमति के आधार पर बढाया जा सकेगा। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा ई–निविदाएँ आमंत्रित की जा रही है। दर प्रति कि.मी. मान्य होगी।

(ब) रोडमिल्क टैंकर आवश्यकता संबंधी विवरण

क्रमांक	टैंकर की क्षमता	कार्य नियोजन	टैंकरो की अनुमानित मांग (संख्या)
1	7500 कि.ग्रा. डबल चेम्बर	उज्जैन दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में स्थापित समस्त बी.एम.सी. / शीतकेन्द्रों / संयंत्रों से दुग्ध परिवहन का कार्य उज्जैन संयंत्र तक किया किया जावेगा।	02

नोट :– मांग के अनुरूप टैंकर्स की संख्या कम या अधिक हो सकती है।

GM(PO) AGM(MIS) I/c Fin I/c QC I/c Purch

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail: udsmis@yahoo.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / उत्पा. / 2022 / उज्जैन, दिनांक :

परिशिष्ट – (ब)

बी.एम.सी. दुग्ध परिवहन हेतु ई–निविदा प्रस्तुत करने हेतु सामान्य नियम एवं शर्ते

01. (अ) प्रत्येक निविदा के साथ ई.एम.डी. रूपये 1,00,000.00 (रू. एक लाख रूपये) ऑनलाईन भुगतान करें। ऑनलाईन जमा ई.एम.डी. राशि की रसीद निविदा भरते समय अपलोड किया जाना अनिवार्य है। बिना ई.एम.डी. जमा किए प्रस्तुत निविदा को निरस्त (अमान्य) माना जावेगा।

    (ब) निविदाकार को निर्धारित प्राइज बिड में ही दर प्रस्तुत करना होगी।

    (स) निविदा मे भाग लेने हेतु निविदा प्रपत्र रू. 1,000.00 (रू. एक हजार) ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।

02. दुग्ध संघ को आवश्यकता होने पर दुग्ध परिवहन टैंकरों का परिचालन उज्जैन दुग्ध संघ की समस्त बी.एम.सी. के अतिरिक्त दुग्ध शीतकेन्द्रों एवं दुग्ध संयंत्रों के दुग्ध का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है।

03. निविदा में उल्लेखित दर में समस्त व्यय सम्मिलित किये जावेंगे, निविदा की दर स्पष्ट शब्दों एवं अंको में अलग–अलग प्रति किलोमीटर लिखी जावे। किसी शर्त वाली निविदा को मान्य नही किया जावेगा। दर सिर्फ ऑन लाईन भरी जावेगी।

04. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर वह फर्म भागीदारी कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये, इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। फर्म के सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होंगे, यदि किसी एक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, तो निविदा के साथ मुख्त्यारनामा की फोटो कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।

05. प्रथम पक्ष अपना वारिस श्री / श्रीमती / कु. .... संबंध.......................... उम्र .... को पूर्ण होशो–हवास में नामांकित घोषित करता है। उसकी मृत्यु उपरांत श्री / श्रीमती / कु. .... को दुग्ध संघ से व्यवहार करने का अधिकारी रहेगा। उक्त एफिडेविट निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

06. निविदा अस्वीकृत होने पर ई.एम.डी की राशि MP tenders द्वारा खाते में वापिस कर दी जावेगी।

07. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित दिन एवं समय पर अनुबंध रू. **1000.00** (एक हजार रू. मात्र) के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर एवं वाटर

मार्क पेपर पर टाईप करवाकर, नोटरी करवाकर अनुबंध पर स्वयं के फोटो सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा, निर्धारित समयावधि में अनुबंध संपादित नही किया जाता है, तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी, तथा ई.एम.डी राशि राजसात कर ली जावेगी।

08. इन्सुलेटेड मिल्क टैंकर मॉडल न. 1109, 7500 लीटर दूध की क्षमता के मान से कुल अमानत राशि रूपये 2,50,000/– उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन में जमा करना अनिवार्य है। जिस पर किसी प्रकार का ब्याज इत्यादि नहीं दिया जावेगा।

09. संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर अथवा आवश्यकता अनुसार वाहन को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

10. पृथक–पृथक मार्ग पर एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने पर तथा स्वीकृत होने पर दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वह जिस मार्ग की निविदा अनुमोदित करें, उसे प्रस्तुतकर्ता को मान्य करना होगा।

11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास एक अथवा सम्पूर्ण निविदाओं को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12. निविदा स्पष्ट/पूर्ण भरी होना चाहिए। अस्पष्ट, कटी–फटी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा।

13. निविदाकार को मात्र स्वयं के वाहन के परिवहन हेतु ही निविदा प्रस्तुत करना होगी, निविदा के साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी तथा स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) संलग्न करना होगी तथा निविदा स्वीकृत होने पर मूल पंजीयक प्रमाण–पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने होंगे एवं समस्त अभिलेख ऑन लाइन अपलोड करने होगें।

14. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को अपना वाहन निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर लाना होगा।

15. निविदा प्रस्तुतकर्ता यदि जानबूझकर निविदा प्रपत्र में गलत जानकारी देता है, तो दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि जमा ई.एम.डी. राशि जप्त कर लें।

16. उज्जैन दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों के सगे संबंधी जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, सगे भाई, बहन अथवा निकट के रिश्तेदारों को निविदा मे भाग लेने की पात्रता नही होगी। वाहन ठेकेदार को इस बाबत् पृथक से शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

17. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाइसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।

18. वर्ष 2020 या उसके बाद के पंजीकृत टैंकरो हेतु निविदा प्रस्तुत की जावे।

19. जिन वाहन/वाहन ठेकेदारों को म.प्र. के किसी भी दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है, उनकी निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा एवं उनकी निविदा तकनीकी बिड में ही सीधे निरस्त कर दी जावेगी।

20. निविदाकार द्वारा यदि अत्यधिक कम/अधिक (अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की स्थिति में) दरें दी गई हैं तो वह मान्य नहीं होगी तथा निविदा निरस्त की जावेगी।

21. बी.एम.सी. मिल्क टैंकर वाहनों पर GPS System एवं डिजिटल लॉक लगवाना आवश्यक होगा, जिसको दुग्ध संघ द्वारा स्थापित किया जावेगा

22. निविदा का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए मान्य होगा, कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में आपसी सहमति के आधार पर 1–1 वर्ष कर दो वर्ष की वृद्धि की जाकर कुल 5 वर्ष हेतु मान्य रहेगीं।

23. टैंकर के ढक्कन के अन्दर भी गन सील लगाने की व्यवस्था की जावे एवं ढक्कन के Hinge में भी सेंसर लगाये जाने की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।

24. निविदाकार के स्वयं के (म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 2 आई के अनुसार) स्वयं के नाम से टैंकर पंजीयन होना अनिवार्य है। वाहन के प्रपत्र जिसका मूल दस्तावेज से परीक्षण किया जावेगा, प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा की दर हेतु प्रस्तुत तकनीकी रूप से असफल माना जावेगा तथा ऐसी प्राप्त निविदाओं को निरस्त किया जावेगा।

25. यह कि संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य अभिलेखों के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि पूर्व हटाया गया है तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिए अपात्र होगें।

26. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई शर्त लगाई जाती है तो ऐसी दशा में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

27. न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा संघ द्वारा वांछित टैंकर उपलब्ध न कराने की दशा में प्राप्त न्यूनतम दर को आधार मानते हुऐ अन्य समस्त निविदाकारों से सहमति प्राप्त की जावेगी।

28. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन लगाने पर स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तदपश्चात् ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।

29. न्यायालयीन क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail: udsmis@yahoo.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / उत्पा. / 2022 / उज्जैन, दिनांक :

परिशिष्ट –(स)

अनुबन्ध की शर्ते

01. निविदा का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए मान्य होगा, कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में आपसी सहमति के आधार पर 1–1 वर्ष कर दो वर्ष की वृद्धि की जाकर कुल 5 वर्ष हेतु मान्य रहेगीं।
02. यह कि प्रतिदिन दुग्ध समितियों (बल्क मिल्क कूलर वाली) में संकलित दूध को दूध संयंत्र / दुग्ध शीत केन्द्र———— तक परिवहन की जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी। इस हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार निर्देश दिये जावेंगे। निर्देशानुसार समस्त दुग्ध समितियों का दूध (क्षमता अनुसार) लाना होगा, यदि एक बार में समस्त संकलित दूध नही आ सकें तो एक से अधिक बार दुग्ध संकलन हेतु आना जाना होगा।
03. यह कि दुग्ध समितियों से दुग्ध संयंत्र तक की दूरी का दुग्ध संघ की गठित सत्यापन समिति द्वारा की गई सत्यापित दूरी के आधार पर किया जावेगा एवं तदानुसार ही भुगतान किया जावेगा।
04. यह कि दुग्ध परिवहन हेतु टैंकर बैरल एस.एस. 304 इन्स्युलेटेड होना आवश्यक है। इन्स्युलेशन की जांच दुग्ध संघ के तकनीकी अधिकारी द्वारा की जायेगी।
05. यह कि टैंकर का वाल्व लीकेज नही होना चाहिए, लीकेज होने की दशा में होने वाली दूध की हानि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से कटौत्रा की जावेगी। टैंकर में वाल्व बाक्स होना अनिवार्य है, साथ ही टैंकर मेनहोल के ढक्कन के ऊपर कवर ढक्कन संघ द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार होना अनिवार्य होगा, जिसमें कोई भी कमी होने से संबंधित टैंकर को कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।
06. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समितियों को दिये जाने वाले सामान जैसे मिनरल मिक्सचर, टेस्टिंग सामान, एवं स्टेशनरी सामान ले जाना होगा एवं इसका लेखा–जोखा प्रथम पक्ष को रखना होगा। संघ से भेजे गये सामान को समिति को देकर प्राप्ति रसीद संघ कार्यालय में जमा करना होगी। समिति को भेजा गया सामान प्राप्त न होने पर उस सामान की राशि का कटौत्रा प्रथम पक्ष के देयक से किया जावेगा।
07. यह कि यदि किसी कारण से संकलन बंद रखा जाता है तो इसकी सूचना दुग्ध संघ द्वारा दी जाती है। अतः प्रथम पक्ष को उन दिनों का कोई भाड़ा देय नही होगा।
08. यह कि निर्देशित समय पर संस्थाओं का संकलित दूध डेरी संयंत्र तक लाने की पूरी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी, किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था प्रथम पक्ष को करना होगी, डेरी संयंत्र पर दूध नही पहुंचने की स्थिति में दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह प्रथम पक्ष से वसूल की जावेगी। यदि प्रथम पक्ष द्वारा

संकलन हेतु वाहन नही भेजा जाता है एवं द्वितीय पक्ष द्वारा व्यवस्था कर वाहन भेजा जाता है एवं इसमें संघ को जो भी अतिरिक्त राशि देना पड़ेगी वह राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/अमानत राशि में से काटी जावेगी।

09. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों जिनके लिये स्वयं प्रथम पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी और से कार्य करने वाले व्यक्ति जिम्मेदार हो, को छोडकर जो प्रथम पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणो को छोडकर वाहन के निश्चित समय पर नही आने की दशा में खराब होने वाले दुग्ध की हानि को जो खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फट्टा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार प्रथम पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी समय के देयक से काट ली जावेगी।

10. क्रमांक 9 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/प्रथम पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्य, इत्यादि का पंचनामा बनाकर प्रथम पक्ष द्वारा उसी पाली में कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरांत काटी गई राशि प्रथम पक्ष को वापिस की जा सकेगी। परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारणो तथा अन्य किसी कारणों से हुये मार्ग अवरोध की दशा में परिवहनकर्ता की जिम्मेदारी होगी की वह संबंधित शासकीय अधिकारी से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा संघ में प्रस्तुत करें तथा संघ के निर्देश अनुसार दूध को समय पर डेयरी प्लांट में पहुचाऐं अथवा प्राप्तकर्ता डेयरी तक पहुचाऐं या तत्कालिक स्थिति पर निर्भर करेगा।

11. एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में अनुबन्धित टैंकर या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा दूध का नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं ऐसे नुकसान का कटौत्रा प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से किया जावेगा।

12. टैंकर हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः प्रथम पक्ष का रहेगा यदि डीजल के अभाव में दुग्ध संकलन परिवहन हेतु टैंकर नही भेजा जाता है, तो इससे समिति/संघ को होने वाली संम्पूर्ण हानि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी। अनुबंधित टैंकर में ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है, एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये दुग्ध परिवहन हेतु इन्सुलेटेड टैंकर की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से टैंकर व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वालेअतिरिक्त व्यय की वसूली भी प्रथम पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं अमानत राशि राजसात की कार्यवाही भी की जा सकती है ।

13. दुग्ध संघ के कार्य से दुग्ध संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।

14. दुग्ध संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नही लाई जावेगी यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो आर्थिक दण्ड किया जावेगा ।

15. प्रथम पक्ष द्वारा टैंकर पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे इनके द्वारा लापरवाही या अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही करना होगी।

16. प्रथम पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा दुग्ध संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/ दुग्ध संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड दे या प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें।
17. चेकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करने पर सही पाया जाता है कि वाहन कर्मचारियों द्वारा दूध में गडबडी, हेराफेरी, दूध निकालकर विक्रय करने या दूध पीते हुए पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की अनियमितता करते हुए पाये जाते है, तो अनुबंध अवधि की समस्त दूध की कमी एवं इससे समिति/दुग्ध संघ को होने वाली हानि का देनदार प्रथम पक्ष रहेगा एवं अनुबंध निरस्त करने एवं अमानत राशि राजसात करने का अधिकारी द्वितीय पक्ष को होगा, साथ ही द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को 05 वर्ष हेतु काली सूची में डाला जावेगा।
18. टैंकर पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सहकारी/शासकीय कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से दुग्ध संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो वह प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
19. प्रथम पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नही करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा यदि प्रथम पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिये प्रथम पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं अमानत राशि राजसात कर लेवें।
20. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घंटो में पुनः सुधरवाया जावेगा।
21. प्रथम पक्ष को दुग्ध वाहन पर द्वितीय पक्ष द्वारा समय–समय पर दी जाने वाली सूचनाये लिखवाना होगी एवं पत्र पेटी अपनी ओर से लगवाना होगी।
22. अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि तथा दुग्ध संघ/समितियों की लेनदारी राशियों को द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की चल/अचल संपत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी प्रथम पक्ष ओर उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।
23. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।
24. अनुबंधकर्ता से संबंधित किसी भी विवादित प्रकरण के निराकरण हेतु प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ भोपाल को प्रस्तुत किया जाऐगा निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाऐगी।
25. दुग्ध संघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में प्रथम पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री, सगे भाई बन्धु नही है यह तथ्य प्रथम पक्ष शपथ–पत्र पर प्रकट करेगा। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि जप्त कर लें।
26. प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाये जावेगे। वह हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे, एवं वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक रहेगा।

27. स्थानीय/मध्यप्रदेश शासन/भारत शासन द्वारा जो भी कर की दरें लागू की जावेगी वह वाहन अनुबंधकर्ता के परिवहन देयकों से काट ली जावेगी एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा की जाकर उसका प्रमाण–पत्र संघ द्वारा निविदाकर्ता को दिया जावेगा।

28. द्वितीय पक्ष को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर तत्काल प्रभाव से अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नही दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस इकरार नामा की शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस इकरार नामा को निरस्त करने व इकरारनामा निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी।

29. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

क्रमांक वाहन का प्रकार		औसत प्रति लीटर
इन्सुलेटेड टैंकर 1109 एवं समान क्षमता का वाहन (7500 लीटर दूध)	–	7 कि.मी

डीजल के अतिरिक्त अन्य किसी स्पेयर पार्टस, आइल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नही की जावेगी ।

30. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन लगाने पर स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी, ताकि नियमानुसार आयकर कटौत्रा किया जा सके, तद्पश्चात् ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।

शीतकेन्द्रों/बी.एम.सी. समिति से दूध टैंकर को भरकर उसका सेम्पल परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि के सामने लेकर तथा तौलकर अथवा सत्यापित क्षमता के आधार पर दूध टैंकर को आवश्यक स्थानों में निर्धारित सील लगाकर तथा सीलों का नम्बर नोट कर एवं दुग्ध के सेम्पल का परिक्षण उक्त प्रतिनिधि के समक्ष करके उसे दिखाकर तदानुसार डिलेवरी चालान आदि बनाया जावेगा। जिस पर संबंधित प्राप्तकर्ता (वाहन चालक/क्लीनर) के हस्ताक्षर होगें तथा उसे गेट पास दिया जावेगा।

परिवहनकर्ता के स्टॉफ का यह कर्तव्य होगा की वह दूध भरे टैंकर को लेकर निकलने के पूर्व सम्पूर्ण चीजे सुनिश्चित करें उसे निर्धारित स्थान उसी हालत में पहुचाऐं एवं उसकी दूध मात्रा, फेंट एवं एस.एन.एफ. में कोई अंतर न आवे। दूध मात्रा, फेंट एवं एसएनएफ में अंतर प्राप्त होने पर इसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी। उक्त अंतर लगातार प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तो के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी, साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति वाहनकर्ता से की जावेगी तथा उसे ब्लेक लिस्टेड किया जावेगा। नियमों का उल्लंघन एवं अन्य अनियमितता की दशा में संबंधित नम्बर के अनुबंधित एवं टैंकर एवं परिवहनकर्त्ता दोनो को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा। ताकि उसे देश/प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों में भी परिवहन कार्य नहीं दिया जा सके, जिसकी सूचना अन्य दुग्ध संघों को तत्काल दी जावेगी।

31. दुग्ध शीतकेन्द्रों के स्तर पर दूध तौलने का तौलकाँटा स्थापित नही है। अतः शीतकेन्द्र स्तर पर समितियो से दूध तौलकर प्राप्त किया जाता है। तदानुसार ही रोड़ मिल्क टेंकर अनुमानित तौर पर भरा जावेगा। यदि परिवहनकर्ता को आपत्ति है तो स्वयं के व्यय पर तौल कार्य करवाकर दूध प्राप्त करना होगा।

उज्जैन संयंत्र स्तर पर तौल कांटा स्थापित है। तौलकाँटा अकार्यशील रहने की दशा में परिवहनकर्ता द्वारा संघ द्वारा निधारित तौल कांटे तौल कार्य करवाना होगा एवं निर्धारित रसीद उपलब्ध करवाने पर भुगतान किया जावेगा।

32. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य अधिनियम के अंतर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर नियुक्त कर्मचारियों की केवल भविष्य निधि अधिनियम/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार परिवहनकर्ता को संबंधित विभाग से कोड नम्बर प्राप्त कर नियमित अंशदान करना अनिवार्य होगा अंशदान जमा न करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा की अंशदान की राशि वाहन ठेकेदार के देयको/अमानत राशि से वसूल कर जमा की जावेगी। जिसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी इसी प्रकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व परिवहनकर्ता को होगा। परिवहनकर्ता को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

33. प्रथम पक्ष को टैंकर परिवहन स्टॉफ के अधिकृत लायसेंस पुलिस सत्यापन पश्चात छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रस्तुत करना होगी।

34. टैंकर में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को परिवहन वर्जित होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान रास्ते में टेंकर किसी भी ढ़ाबा/होटल/दुकान या मुख्य मार्ग से हटकर खड़ा नहीं होगा। अति आवश्यक होने पर ही टेंकर मेन रोड़ पर खड़ा किया जावेगा। वह भी अधिकतम 15 मिनिट हेतु।

35. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स वाहन संचालन के पूर्व संघ कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

36. प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर द्वितीय पक्ष द्वारा चाही गई समस्त वैधानिक आवयकताओं के अभिलेख प्रस्तुत करने होगें।

37. प्रथम पक्ष द्वारा टेंकर की क्षमता आर.टी.ओ. से सत्यापन करवाया जावे एवं उसकी प्रति संघ कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगीं।

38. प्रथम पक्ष द्वारा वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना होगी।

39. प्रथम पक्ष द्वारा टेंकरों पर संघ का विज्ञापन पेंटिग स्वयं के व्यय पर करना होगी।

40. बैरल का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नही बढना चाहिऐ।

41. दुग्ध संघ अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षमताओं के टैंकरो को एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर अथवा नवीन पुर्नगठित मार्ग पर टेंकर को चला सकता है एवं उसी अनुसार दूरी का भुगतान किया जावेगा।

42. दुग्ध संघ को आवश्यकता होने पर दुग्ध परिवहन टैंकरों का परिचालन उज्जैन दुग्ध संघ की समस्त बी.एम.सी. के अतिरिक्त दुग्ध शीतकेन्द्रों एवं दुग्ध संयंत्रों के दुग्ध का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है।

43. प्रथम पक्ष द्वारा बी.एम.सी. मिल्क टैंकर वाहनों पर GPS System एवं डिजिटल लॉक लगवाना आवश्यक होगा, साथ ही इसका मासिक एवं रखरखाव का व्यय द्वितीय पक्ष को वहन किया जावेगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा GPS System एवं डिजिटल लॉक से छेड़–छाड़

करने पर राशि रू. 50,000/— की पेनल्टी तथा उक्त कृत्य की पुनरावृति होने पर अमानत राशि राजसात की जावेगी। डिजिटल लॉक की चाबी गुमाने पर दुसरी चाबी का चार्ज जो कि लगभग 10,000/— की वसूली प्रथम पक्ष से की जावेगीं।

44. बी.एम.सी. टेंकर के वाहन चालक 18 वर्ष कम तथा बिना लाइसेंस के न हो प्रत्येक वाहन चालक से उसके लाईसेंस की प्रति अनिवार्यतः दुग्ध संघ में प्रथम पक्ष द्वारा जमा कराई जावें। वाहन चालकों का रिकार्ड/लाईसेंस की प्रति, पता/मोबाइल नं./प्रमाण पत्र/अनुभव आदि दुग्ध संघ में प्रस्तुत किये जावे, साथ ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा एवं पहचान पत्र बनाना आवश्यक होगा। इन पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन परिवहनकर्ता को करना होगा।

45. बी.एम.सी. टेंकर वाहन चालक/क्लीनर कर्मचारी मद्यपान कर के वाहन न चलाये ऐसे वाहन चालकों की प्रथम पक्ष द्वारा निरंतर चैकिंग की जाये तथा दोषियों को सेवा से पृथक किया जावे।

46. प्रथम पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो की अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग करायेगें ताकि अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।

47. परिवहन निदेशों में दूरी अनुसार अधिकतम परिवहन समय–सीमा में निर्धारित की गई है, उससे अधिक समय में टेंकर लाने पर अर्थदण्ड लगाया जावेगा, वहीं गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों से की जावेगी।

48. दूध टैंकरों के संपूर्ण अनुरक्षण तथा दूध टेंकर के अनुरक्षण जैसे साफ सफाई, लिकेज, पेन्टिग, लॉकिंग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा। टेंकर के अन्दर की सफाई संघ द्वारा की जावेगी।

49. परिवहनकर्ता स्टॉफ को दुग्धालय परिसर में अच्छा आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा। टेंकर एवं स्टॉफ को दुग्ध संघ परिसर में निर्धारित स्थान पर टैंकर खाली होने तक ही रूकने की अनुमति होगी तथा टैंकर खाली होने पर तत्काल टैंकर को अपने निर्धारित स्थान हेतु रवाना होना पड़ेगा। अन्यथा प्रति 01 घण्टे हॉल्टिग का रूपये 5000.00 अर्थदण्ड लगेगा, जिसका मिलान सुरक्षा गेट के रजिस्टर से किया जावेगा।

50. टैंकरों को क्षमता के अनुसार R.T.O से सत्यापित होना आवश्यक है। दुग्ध बैरल बदलने हेतु उसकी पूर्व अनुमति कार्यालय से लेनी होगी, किसी भी दशा में पूर्व अनुमति के बिना टैंकर का बेरल बदला नहीं जावेगा। यदि बिना पूर्व अनुमति के परिवहनकर्ता द्वारा बेरल बदला जाता है तो ऐसे परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त कर उसे कार्य से पृथक कर अमानत राशि राजसात करते हुऐ ब्लेकलिस्ट किया जावेगा, जिसका संम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।

51. परिवहन कार्य संघ द्वारा निर्धारित किये गये नियत मार्ग से करना होगा। अन्य मार्ग से टैंकर का आना जाना पाये जाने पर यह माना जावेगा कि टैंकर को दूध चोरी के उदेश्य से मार्ग बदलकर परिवहन किया गया है। अतः तद्नुसार आर्थिक एवं कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

52. संघ कार्यालय द्वारा टेंकरों की निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को परिवहनकर्ता के स्टॉफ पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा, अन्यथा संघ द्वारा कड़ी कारवाई की जावेगी, जिसकी संम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

53. दुग्ध परिवहनकर्ता के द्वारा टेंकर पर निम्नानुसार लिखवाना होगा।

1. टैंकर के पीछे दूध विक्रय हेतु नहीं है।
2. टैंकर के दोनो ओर यदि इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुऐ दूध देखा जावे तो कृपया 79741-66701 एवं 94069-00285 पर सूचित करें।

उक्त नहीं लिखवाने पर संघ द्वारा लिखवाये जाने पर होने वाले समस्त व्ययों का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से कर लिया जावेगा। जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।

54. स्वीकृत निविदाकार को परिवहन के दौरान आवश्यकता होने पर मांग अनुसार टैंकर समय पर उपलब्ध करवाना होगें।
55. परिवहन के दौरान संघ द्वारा गठित निगरानी समिति, अन्य व्यक्ति प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दूध की चोरी करते पकड़ा जाता है तो आर्थिक दण्ड रू. 1,00,000.00 के साथ-साथ सम्पूर्ण अनुबंध अवधि में दूध की मात्रा फेट एवं एसएनएफ आदि में हुई कमी का कटौत्रा संबंधित ठेकेदार के देयकों अथवा अमानत राशि से किया जावेगा। साथ ही वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से वाहन संचालन कार्य से हटाना अनिवार्य होगा। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुऐ उपरोक्त दण्ड बढ़ाया भी जा सकेगा इसके प चात भी यदि चोरी/हेरा-फेरी में लिप्तता पाई जाती है तो संबंधित परिवहनकर्ता एवं उसके वाहन चालक के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जावेगी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा जो परिवहनकर्ता को बंधनकारी होगा।
56. परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा संघ द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाना होगा। यदि जीपीएस लोकेशन में यह पाया जाता है कि टैंकर शंकास्पद स्थान अथवा निर्धारित मार्ग से अलग स्थान पर खड़ा है अथवा परिवहन कर रहा है तो रू. 50,000/- का आर्थिक दण्ड किया जावेगा। किसी अत्यंत विशेष परिस्थिति में मार्ग बदलने पर उसकी सूचना दुग्ध संघ कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
57. देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। परिवहनकर्ता को नियमित तौर पर देयक प्रस्तुत करना होंगे एवं यदि दुग्ध संघ की वसूली योग्य राशि निकलती है तो सात दिवस में उक्त राशि संघ कार्यालय में जमा कराई जाना होगी। देयक विलम्ब से प्रस्तुत करने एवं वसूली योग्य राशि जमा नहीं कराऐ जाने की स्थिति में टैंकर का संचालन रोकते हुऐ वाहन को संयंत्र परिसर में खड़ा रखा जावेगा।
58. परिवहन के दौरान अनावश्यक विलंब होने पर उसे प्रति ट्रिप हेतु रू. 20000.00 का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
59. परिवहनकर्ता को एक कम्प्रीहेंसिव बीमा पॉलिसी वाहनों हेतु लेना अनिवार्य होगी। परिवहनकर्ता का दायित्व होगा की आर.टी.ओ. द्वारा निर्धारित टेक्स, फीस, ड्यूटीज समय पर जमा करें तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लाईसेंस होना आवश्यक है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
60. डेरी परिसर के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नही चलाये जावेंगे, डेरी परिसर में वाहन की साफ सफाई नही की जावेगी। डेरी परिसर में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य

नही करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो दुग्ध संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड दिया जावेगा उसका प्रथम पक्ष देनदार रहेगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अंदर आने के पश्चात् जब तक वह खाली वाहन वापस बाहर नही जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेंगे।

61. दुग्ध संघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में प्रथम पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री, सगे भाई बन्धु नही है यह तथ्य प्रथम पक्ष शपथ–पत्र पर प्रकट करेगा। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि जप्त कर लें।

62. न्यायालयीन कार्यक्षेत्र उज्जैन रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,उज्जैन

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail: udsmis@yahoo.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / उत्पा. / 2022 / उज्जैन, दिनांक :

परिशिष्ट – (द) : तकनीकी प्रपत्र

1. निविदाकार का नाम – ....
2. पूरा पता – ....
3. फोन नं / मोबाईल नं. – ....
4. ई–मेल आईडी – ....
5. अमानत राशि ऑलाईन जमा की रसीद (क्रमांक / दिनांक व छायाप्रति संलग्न करें) – ....
6. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार (दस्तावेजो की छायाप्रति संलग्न करें) – ....
7. रोडमिल्क टैंकर क्षमता – ....
8. आयकर पेन का विवरण (छायाप्रति संलग्न करें) – ....
9. किसी दुग्ध संघ : द्वारा काली सूची में नामित नही किया है इस सम्बन्ध में शपथ पत्र रू. 100 / – (नोटरी द्वारा सत्यापित) – ....
10. टैंकर का नियोजन किस कार्य हेतु किया जाना है। (बी.एम.सी से डेयरी संयंत्र / दुग्ध शीतकेन्द्र से डेयरी संयंत्र एवं अन्य दुग्ध संयंत्र) – ....
11. जी.एस.टी. न. (छायाप्रति संलग्न करें) – ....
12. मॉडल तथा मेक – ....
13. FSSAI पंजीयन क्रमांक(छायाप्रति संलग्न करें) – ....

निविदा फार्म में वर्णित उज्जैन दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्ते पूर्णतः मान्य है ।

स्थान ....

दिनाक ....

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम –

मोबाइल नं.–

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail: udsmis@yahoo.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / उत्पा. / 2022 /　　　　　　　　उज्जैन, दिनांक :

परिशिष्ट –(ई)

दुग्ध परिवहन हेतु दर प्रस्ताव

क्र.	टैंकर की क्षमता	दर प्रति किलोमीटर	
01	7500 कि.ग्रा.	अंकों में	
		शब्दों में	

नोट :–

उपरोक्त दरें समस्त व्यय / कर आदि सहित हैं तथा टोल टैक्स के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई टैक्स / 'कर' का भुगतान नहीं किया जावेगा।